रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 26] नई दिल्ली, जून 20—जून 26, 2010, शनिवार/ज्येष्ठ 30—आषाढ़ 5, 1932

No. 26] NEW DELHI, JUNE 20—JUNE 26, 2010, SATURDAY/JYAISTHA 30—ASADHA 5, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 18 जून, 2010

सा.का.नि. 104.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संघ लोक सेवा आयोग (केयर टेकर) भर्ती नियम, 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (केयर टेकर) भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संघ लोक सेवा आयोग (केयर टेकर) भर्ती नियम, 2000 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :–

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
केयर टेकर	02* (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु.	लागू नहीं होता	25 वर्ष तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक की जा सकती है ।) **टिप्पण 1** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य, 2. स्वच्छता विज्ञान या लोक स्वास्थ्य विज्ञान में डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र या विद्युत/सिविल इंजीनियरी/स्वच्छता विज्ञान इंजीनियरी में डिप्लोमा/प्रमाणपत्र, और	नहीं	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(8)

3. कार्यालय भवनों के अनुरक्षण में डिप्लोमा धारकों की दशा में दो वर्ष और प्रमाणपत्र धारकों की दशा में पांच वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हताएं केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती है/हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड—1, 5200-20200 रु. में ग्रेड वेतन 2400 रु. सहित या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है, या (iii) जिन्होंने वेतन बैंड—1, 5200-20200 रु. में ग्रेड वेतन 2000 रु. सहित या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर दस वर्ष नियमित सेवा की है, या (iv) जिन्होंने वेतन बैंड—1, 5200-20200 रु. में ग्रेड वेतन 1900 रु. सहित या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तेरह वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास स्तम्भ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं । वेतन बैंड—1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. के ऐसे विभागीय सहायक केयर टेकर के संबंध में भी जिसने उस श्रेणी में नियमित आधार पर तेरह वर्ष की सेवा की है, अन्य बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा । यदि पद पर विभागीय अभ्यर्थी का चयन कर लिया जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा । **टिप्पण 1** : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या कुछ अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(12)

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना किए जाने के प्रयोजन के लिए तारीख 1 जनवरी, 2006/वह तारीख जब से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों के आधार पर तदनुरूप लागू किए गए ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा मानी जाएगी । प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा तारीख 1 जनवरी, 2006/वह तारीख जबसे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा समझी जाएगी सिवाए इसके उन मामलों को छोड़कर, जहां एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमान का एक समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में समामेलन किया गया है और जहां यह फायदा केवल उन्हीं पदों के लिए विस्तारित किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. अपर सचिव (प्रशासन, नियुक्तियां, सामान्य, सेवा-1 और भर्ती नियम) —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन) —सदस्य 3. उप-सचिव (सामान्य) —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 39021/09/2009-स्थापना (ख)]"

राकेश मोज़ा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 3 तारीख 6 जनवरी, 2001 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 18th June, 2010

G. S. R. 104.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Union Public Service Commission (Caretaker) Recruitment Rules, 2000 namely :—

1. (1) These rules may be called the Union Public Service Commission (Caretaker) Recruitment (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For the Schedule to the Union Public Service Commission (Caretaker) Recruitment Rules, 2000, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band, and Grade Pay /Pay Scale	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefits of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
aretaker	02*(2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'C' Non-Gazetted. Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200—20200 plus Grade Pay Rs. 2800	Not applicable	Upto 25 years (relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note**.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	No

Educational and other qualifications required for Direct Recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
(1) Matriculation from a recognised Board/University or equivalent; (2) Diploma/Certificate in Sanitary or Public Hygiene or Diploma/Certificate in Electrical/Civil Engineering/ Sanitary Engineering; and	No	Two years for direct recruits

(8)
(3) Two years' experience in case of Diploma holders and five years' in case of Certificate holders in maintenance of office buildings. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Central Government, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion /deputation/ absorption to be made
(11)	(12)
Promotion/Deputation, failing which by direct recruitment.	**Deputation/Promotion :** Officers under the Central Government or State Government,— (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years' regular service in posts in the scale of PB-1 Rs.5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2400 or equivalent; or (iii) with ten years' regular service in posts in the scale of PB-1 Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2000 or equivalent; or (iv) with thirteen years' regular service in posts in the scale of PB-1 Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 1900 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8. The Departmental Assistant Caretaker in Pay Band-1 of Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 1900 having thirteen years service in the grade on regular basis, shall also be considered along with the outsiders. In case the Departmental candidate is selected to the post, it will be deemed to have been filled by promotion. **Note 1 :** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2 :** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ Department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years.

(12)

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 4 : For the purpose computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January of 2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendation of the Commission. For the purpose appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January of 2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any ungradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— 1. Additional Secretary (Administration, Appointments, General, Services-I and Recruitment Rules) —Chairman 2. Joint Secretary (Administration) —Member 3. Deputy Secretary (General) —Member	Not applicable

[F. No. 39021/09/2009-Estt. (B)]"

RAKESH MOZA, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number G.S.R. 3, dated the 6th day of January, 2001.

पर्यावरण और वन मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 जून, 2010

सा.का.नि. 105.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव विभाग (अनुसंधान सहायक) भर्ती नियम, 1987 और पर्यावरण और वन मंत्रालय (अनुसंधान अधिकारी) भर्ती नियम, 1991 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण और वन मंत्रालय में अनुसंधान अधिकारी (पर्यावरण) श्रेणी-I, अनुसंधान अधिकारी (पर्यावरण) श्रेणी-II और अनुसंधान सहायक (पर्यावरण) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण और वन मंत्रालय, तकनीकी पद (समूह 'ख' राजपत्रित और अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान होंगे, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. अनुसंधान अधिकारी (पर्यावरण) श्रेणी-I	03* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 रु.+ ग्रेड वेतन 4800 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	कुछ नहीं

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/पतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रोन्नति जिनके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ।	**प्रोन्नति :** वेतन बैंड-2; 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. में ऐसा अनुसंधान अधिकारी (पर्यावरण) श्रेणी-II जिसने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है । **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी । **प्रतिनियुक्ति :** (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्रों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्द्ध सरकारी, कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी : (क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड 2; 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. वाले पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पर्यावरणी विज्ञान/भू-विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/प्राणि विज्ञान/रसायन/जीव रसायन/जीव-प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री या पर्यावरणी विज्ञान में इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी/जीव प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री; (ii) पर्यावरणी विज्ञान पर डाटा के संग्रहण और विश्लेषण का तीन वर्ष का अनुभव । **टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले/उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अनधिक पनुरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

	(12)
	(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।) प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) : (i) संयुक्त सचिव (प्रशासन) —अध्यक्ष (ii) निदेशक (प्रशासन)/उप सचिव (प्रशासन) —सदस्य (iii) निदेशक (भारतीय वन सेवा प्रभाग का भारसाधक)/उप सचिव (भारतीय वन सेवा प्रभाग का भारसाधक) —सदस्य	प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. अनुसंधान अधिकारी (पर्यावरण) श्रेणी-II	13*(2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 रुपए 9300-34800 रु.+ ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	कुछ नहीं

(11)	(12)
50.00 प्रतिशत प्रोन्नति जिनके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है । 50.00 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ।	**प्रोन्नति :** वेतन बैंड-2; 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. में ऐसा अनुसंधान सहायक (पर्यावरण) जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है । **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि

(12)

उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।

प्रतिनियुक्ति : (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्रों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्द्ध सरकारी, कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :–

(क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या

(ii) जो मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड 2; 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. वाले पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है या समतुल्य; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पर्यावरणी विज्ञान/भू-विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/प्राणि विज्ञान/रसायन/जीव रसायन/जीव-प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री या पर्यावरणी विज्ञान में इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी/जीव प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री;

(ii) पर्यावरणी विज्ञान पर डाटा के संग्रहण और विश्लेषण का दो वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले/उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अनधिक पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, (जिसके अंतर्गत अल्प-कालिक संविदा भी है) साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम

	(12)
	आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) : (i) संयुक्त सचिव (प्रशासन) —अध्यक्ष (ii) निदेशक (प्रशासन)/उप सचिव (प्रशासन) —सदस्य (iii) निदेशक (भारतीय वन सेवा प्रभाग का भारसाधक)/उप सचिव (भारतीय वन सेवा प्रभाग का भारसाधक) —सदस्य	प्रतिनियुक्ति पर (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) किसी अधिकारी की नियुक्ति ~रते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. अनुसंधान सहायक (पर्यावरण)	12* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 रुपए 9300-34800 रु.+ ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।

(8)	(9)	(10)
आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पर्यावरणी विज्ञान/भू-विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/प्राणि विज्ञान/रसायन/जीव रसायन/जीव प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री या पर्यावरणी विज्ञान में इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी/जीव प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री । **टिप्पण :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(11)	(12)
सीधी भर्ती : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी, अर्थात् : (क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद-धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-1; 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु. वाले पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छ: वर्ष सेवा की है या समतुल्य; और (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं है ।	लागू नहीं होता

(13)	(14)
पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह-ख विभागीय प्रोन्नति समिति : (i) संयुक्त सचिव (प्रशासन) —अध्यक्ष (ii) निदेशक (प्रशासन)/उप सचिव (प्रशासन) —सदस्य (iii) निदेशक (भारतीय वन सेवा प्रभाग का भारसाधक)/उप सचिव (भारतीय वन सेवा प्रभाग का भारसाधक) —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. ए-65011/11/2000-पी.1]

मोहन लाल वाधवानी, अवर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi, the 18th June, 2010

G.S.R. 105.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Environment, Forests and Wildlife (Research Assistant) Recruitment Rules, 1987 and Ministry of Environment and Forests (Research Officer), Recruitment Rules, 1991, except as respects things done or omitted to be done before supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Research Officer (Environment) Grade-I, Research Officer (Environment) Grade-II and Research Assistant (Environment) in the Ministry of Environment and Forests, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Ministry of Environment and Forests Technical Posts (Group 'B' Gazetted and Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of the posts, classification and scale of pay.—The number of said posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed thereto.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any persons from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Pay Band, and Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection post or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Research Officer (Environment) Grade-I	3* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2 Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4800/-	Selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Nil

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(11)	(12)
Promotion failing which by deputation including short-term contract	**Promotion :** Research Officer (Environment) Grade-II in Pay Band-2; Rs. 9300-34800 plus Grade pay of Rs. 4600 with two years' regular service in the grade. **Note 1 :** Where juniors, who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their

(12)

probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

Deputation: (including short-term contrct) :

Officers under the Central Government/State Governments/Union Territories/Recognized Research Institutions/Universities/Public Sector Undertakings/Semi-Government, Statutory or Autonomous Organisations:—

(a) (i) Holding analogous post on regular basis in the present cadre/ Department; or

(ii) With two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band-2; Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4600/- or equivalent in the parent cadre/Department; and

(b) Possessing the following educational qualifications and experience:—

(i) Master's Degree in Environmental Sciences/Earth Sciences/Botany/ Zoology/Chemistry/Bio-Chemistry/Bio Technology or Bachelor's Degree in Engineering/Technology in Environmental Sciences/Bio-Technology from a recognized University/Institute.

(ii) Three years' experience in collection and analysis of data on Environmental Sciences.

Note : For the purpose of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006/the date from which revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has been extended shall be deemed to the service rendered in the corresponding Grade Pay/Pay Scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay/Pay Scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that Grade Pay/Pay Scale in the normal replacement grade without any upgradation. (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including short term contract including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) : (i) Joint Secretary (Administration) —Chairman (ii) Director/Dy. Secretary (Administration) —Member (iii) Director (incharge of Indian Forests Service Divison)/Dy. Secretary (in charge of Indian Forests Service Divison) —Member	Consultation with Union Public Service Commisson is necessary while appointing an officer on depuation

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Research Officer (Environ-ment) Grade-II	13* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2 Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4600	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Nil

(11)	(12)
50.00% by promotion failing which by deputation incluidng short-term contract. 50.00% by deputaton including short-term contract.	**Promotion :** Research Assistant (Environment) in Pay Band-2; Rs. 9300-34800 plus Grade pay of Rs. 4200 with five years' regular service in the grade. **Note 1 :** Where juniors, who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission. **Deputation:** (including short-term contract) : Officers under the Central Government/State Governments/Union Territories/Recognized Research Institutions/Universities/Public Sector Undertakings/Semi-Government, Statutory or Autonomous Organisations :— (a) (i) Holding analogous post on regular basis in the present cadre/ Department; or

(12)

(ii) With five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band-2; Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre/Department; and

(b) Possession the following educational qualifications and experience :—

(i) Master's Degree in Environmental Sciences/Earth Sciences/Botany/Zoology/Chemistry/Bio-Chemistry/Bio Technology or Bachelor's Degree in Engineering/Technology in Environmental Sciences/Bio-Technology from a recognized University/Institute.

(ii) Two years' experience in collection and analysis of data on Environmental subjects.

Note : For the purpose of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer pior to 1-1-2006/the date from which revised pay structure based on the sixth CPC recommendations has been extended shall be deemed to be the service rendered in the corresponding Grade Pay/Pay Scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay/Pay Scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that Grade Pay/Pay Scale in the normal replacement grade without any upgradation. (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including short-term contract including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.

(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) : (i) Joint Secretary (Administration) —Chairman (ii) Director/Dy. Secretary (Administration) —Member (iii) Director (incharge of Indian Forests Service Divison)/Dy. Secretary (incharge of Indian Forests Service Divison) —Member	Consultation with Union Public Service Commisson is necessary while appointing an officer on depuation (including short-term contract)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Research Assistant (Environment)	12* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2 Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4200	Not applicable	Not applicable	Not exceeding thirty years. Relaxable for Govt. Servants upto five years in accordance with the instructons or orders issued by the Central Government.

(7)
The crucial date f(determining the age lim shall be the closing dat for receipt of applications fo candidates in Ind and not the closin date prescribed for tho in Assam, Meghalay Arunachal Prades Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, La and Spiti District and P Sub-Division of Chan District of Himacl Pradesh, Andaman an Nicobar Islands and Lakshadweep).

(8)	(9)	(10)
Essential : Master's Degree in Environmental Sciences/Earth Sciences/ Botany/Zoology/Chemistry/Bio-Chemistry/Bio-Technology or Bachelor's Degree in engineering/technology in Environmental Sciences/Bio-Technology from a recognized University/Institute. **Note :** Qualifications are relaxable at the discretion of the SSC for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	Two years for direct recruits

(11)	(12)
Direct Recruitment Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a deputation of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government : (a)(i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ Department; or (ii) With six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Pay Band-I; Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 2800 or equivalent in the parent cadre/Department and (b) Possessing the educational qualifications prescribed for direct recruitment under column 8.	Not applicable

(13)	(14)
oup 'B' Departmental Promotion Committee for considering ıfirmation : (i) Joint Secretary (Administration) —Chairman ii) Director (Administration)/Dy. Secretary (Administration) —Member iii) Director (in-charge of Indian Forests Service Divison)/Dy. Secretary (in-charge of Indian Forests Service Divison) —Member	Consultation with Union Public Service Commisson not necessary.

[F. No. A-65011/11/2000-P.I]

M. L. WADHWANI, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 जून, 2010

सा.का.नि. 106.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संचारी रोगों के ष्ट्रीय संस्थान, दिल्ली (द्वितीय श्रेणी, राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1975 को, जहां तक उसका संबंध पुस्तकाध्यक्ष ग्रेड I के पद से है, उन बातों े सिवाय, अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र में सहायक स्तकालय और सूचना अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (सहायक पुस्तकालय और सूचना ाधिकारी भर्ती नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध नुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य ातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

क्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि : अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो ारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके और इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की ाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय रकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व-सैनिकों और अन्य ाशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनबैंड, वेतनमान और ग्रेड वेतन	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी	1* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 (9300–34800 रु.) + ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
आवश्यक : i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य; ii. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या समतुल्य से पुस्तकालय विज्ञान में बैचलर डिग्री या समतुल्य डिप्लोमा; iii. किसी प्रचलित पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा या समतुल्य।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	कुछ नहीं

(8)

टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उसके लिए जो कारण हैं; उन्हें लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

वांछनीय :

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविालय से पुस्तकालय विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	**प्रोन्नति :** वेतन बैंड-2; 9300–34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. में पुस्तकालय और सूचना सहायक से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है । **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है से पूर्व की गई नियमित सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी । **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी: (क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड 2; 9300–34800 रु के वेतनमान + 4200 रु. के ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; या

(12)
(ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं । पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 1** : प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पूर्व (उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमान को साधारण ग्रेड/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय कर दिया गया है और जहां यह फायदा केवल उन पदों के लिए विस्तारित किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिये समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति : अपर निदेश/ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर की पंक्ति का अधिकारी, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र-1 —अध्यक्ष उप-निदेशक, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र-1 —सदस्य निदेशक (प्रशा.)/उप-निदेशक (प्रशा.), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन नई दिल्ली —सदस्य राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम या दिल्ली/नई दिल्ली में स्थापित स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन कोई अन्य संस्थान से उप-निदेशक/सहायक निदेशक/प्रशासनिक अधिकारी-1 —सदस्य सहायक निदेशक (प्रशा.) प्रशासनिक अधिकारी,राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र-1 —सदस्य	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. सी-18018/04/2008-पी एच (सीडीएल) पीएच-II]

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 22nd June, 2010

G.S.R. 106.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Institute of Communicable Disease, Delhi (Class II Gazetted Post) Recruitment Rules, 1975 in so far as they relate to the post of Librarian Grade I, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment relating to the post of Assistant Library and Information Officer in National Centre for Disease Control, Delhi, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Centre for Disease Control (Assistant Library and Information Officer) Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Post, classification and scale of pay.—The number of post, its classification and the scale of pay attached there shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person.

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax. any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Pay Band, pay scale and Grade Pay	Whether Selection post or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Assistant Library and Information Officer	1* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2 Rs. 9300—34800 with Grade Pay of Rs. 4600	Selection	Not applicable	Not exceeding 30 years. Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government. The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not

		(7)
		the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunanchal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.

Educational and other qualifications as required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Essential : i. Degree from a recognised University or equivalent; ii. Bachelor's Degree or equivalent Diploma in Library Science of a recognised University or Institute or equivalent; iii. Two years' professional experience in a Library of standing OR Diploma in computer Application from a Recognised University or Institute or Equivalent. **Note : 1** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note : 2** The Qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if any at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. **Desirable :** Master's Degree in Library Science from a recognised University or Equivalent.	Age : No Educational Qualifications : Yes	Nil

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(11)	(12)
Promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.	**Promotion :** By promotion from Library and Information Assistant in PB-2 (Rs. 9300-34800) with grade pay Rs.4200 with five years regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st day of January 2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission. **Deputation:** Officers under the Central Government: (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the PB-2 scale of pay of Rs. 9300-34800 with grade pay Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre/department; or (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8. The departmental officers in the Feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding, this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications. **Note :** For the purpose of appointment on Deputation/Absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st day of January 2006 (Date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion : 1. Additional Director/Officer of the rank of Senior Administrative Grade Level, National Centre for Disease Control-1 —Chairman 2. Deputy Director, National Centre for Disease Control-1 —Member 3. Director (Admn.)/Deputy Director (Admn.), Directorate General of Health Services, Nirman Bhavan, New Delhi-1 —Member 4. Deputy Director/Assistant Director/Admn. Officer from National Vector Borne Disease Control Programme or any other Institute under Directorate General of Health Services, located in Delhi/New Delhi-1 —Member 5. Assistant Director (Administration)/Administrative Officer, National Centre for Disease Control-1 —Member	Consultation with Union Public Service Commisson necessary while making Direct Recruitment.

[F. No. C-18018/4/2008-PH(CDL)-PH-II]
D. K. SENGUPTA, Under Secy.

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 जून, 2010

सा.का.नि. 107.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड प्रशासक (केन्द्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण) भर्ती नियम, 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड प्रशासक (केन्द्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण) भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड प्रशासक (केन्द्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण) भर्ती नियम, 2000 में अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएंगी, अर्थात् :–

"अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रशासक	1*(2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15600-39100 रु. और ग्रेड वेतन 6600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन	**प्रतिनियुक्ति/आमेलन** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी :– (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड 2 में वेतनमान 9300-34800 रु + ग्रेड वेतन 5400 रुपये में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् निर्दिष्ट श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है या समतुल्य; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड 2 में वेतनमान 9300-34800 रु + ग्रेड वेतन 4800 रुपये में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् निर्दिष्ट श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है या समतुल्य; या (iv) जिन्होंने वेतन बैंड 2 में वेतनमान 9300-34800 रु + ग्रेड वेतन 4200 रुपये में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् निर्दिष्ट श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है या समतुल्य; और (ख) जिनके पास प्रशासन, स्थापन और लेखा मामलों का पांच वर्ष का अनुभव है । **टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है), नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है, वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
(13)	(14)
लागू नहीं होता	पद को भरने के लिये संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श कराना आवश्यक है।

[फा. सं. 21/18/2009-के.भू.ज.बो.]"

विनीत एब्रहाम, अवर सचिव

नोट–मूल नियम, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 162, तारीख 6 जून 2000 द्वारा प्रकाशित किये गये थे।

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 16th June, 2010

G.S.R. 107.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Ground Water Board (Administrator, Central Ground Water Authority) Recruitment Rules, 2000, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Ground Water Board (Administrator, Central Ground Water Authority) Recruitment (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Ground Water Board (Administrator, Central Ground Water Authority) Recruitment Rules, 2000, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE

Name of the post	No. of post	Classification	Pay Band, and Grade Pay or scale of pay	Whether Selection post or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Administrator	1*(2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Ministerial	Pay Band-3 Rs. 15600-39100+ Grade Pay Rs. 6600	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption is to be made
(11)	(12)
Deputation/Absorption	**Deputation/Absorption:** (a) Officers under the Central or State Governments: (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years regular service in the grade referred after appointment thereto on a regular basis in the pay scale of Pay of Rs.9300-34800 with Grade pay of Rs. 5400 in PB-2 or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with six years regular service in the grade referred after appointment thereto on a regular basis in the pay scale of Pay of Rs. 9300-34800 with Grade pay of Rs. 4800 in PB-2 or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) with ten years regular service in the grade referred after appointment thereto on a regular basis in the pay scale of Pay of Rs. 9300-34800 with Grade pay of Rs. 4200 in PB-2 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) having five years experience in Administration, Establishment and Accounts matters. **Note :** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department or the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date for receipt of application. **Note :** For the purpose of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (date from which the revised pay structure based on the 6th CPC Recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extended only for the post(s) for which that pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post.

[F. No. 21/18/2009-CGWB]"

VINEETH ABRAHAM, Under Secy.

Note : The principal rules were published vide number G.S.R. 162 dated the 6th June, 2000.

नई दिल्ली, 17 जून, 2010

सा.का.नि. 108.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड चपरासी भर्ती नियम, 1976 का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का ध्येय किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में चपरासी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में चपरासी समूह ग पद, भर्ती नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह करने की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह करने की संविदा की है ।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व-सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनबैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
चपरासी	100* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1एस 4400-7440 रु. + ग्रेड वेतन 1300 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है ।)

(7)
टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।) **टिप्पण 2** : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या समतुल्य	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
पचहत्तर प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और पच्चीस प्रतिशत आमेलन द्वारा	केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के ऐसे चौकीदार या फराश या सफाई वाला की श्रेणी से आमेलन जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास हिन्दी पढ़ने और हिन्दी में लिखने की योग्यता हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. निदेशक, (प्रशासन) ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —अध्यक्ष	लागू नहीं होता ।

(13)

2.	एक समूह-क अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	—सदस्य
3.	प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	—सदस्य

[फा. सं. 23/6/2009-के.भू.ज.बो.]

विनित एब्रहाम, अवर सचिव

New Delhi, the 7th June, 2010

G.S.R. 108.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Ground Water Board (Peon) Recruitment Rules, 1976, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Peon in the Ministry of Water Resources, the Central Ground Water Board, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources the Central Ground Water Board, Peon, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Pay Band, and grade pay or pay scale	Whether Selection post or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peon	100* (2010) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1S Rs. 4440-7440 plus grade pay Rs. 1300	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 27 years. Relaxable for Government Servants upto 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the

		(7)
		instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunanchal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep. **Note 2 :** In case of recruitment made through Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchanges are asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Matriculation from a recognised Board or equivalent	Not applicable	Two Years

Method of recruitment whether by direct or by promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(11)	(12)
Seventy five percent by direct recruitment and Twenty five percent by absorption	Absorption from the grade of Chowkidar or Farash or Safaiwala in the Central Ground Water Board who have regular five years service in the grade, and ability to read and write in Hindi.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of : 1. Director (Administration)/ Senior Administration Officer, Central Ground Water Board —Chairman 2. A Group 'A' Officer, Central Ground Water Board—Member 3. Administrative Officer, Central Ground Water Board —Member	Not applicable

[F. No. 23/6/2009-CGWB]

VINEETH ABRAHAM, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 जून, 2010

सा.का.नि. 109.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (हथौड़ाचालक) भर्ती नियम, 1976 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में हथौड़ा चालक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, हथौड़ाचालक समूह 'घ' पद, भर्ती नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व-सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
हथौंडा चालक	04* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह 'ग') अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है ।) **टिप्पण 1** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।) **टिप्पण 2** : रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन; या समतुल्य । (ii) लोहार गीरी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण-पत्र	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)		(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :		लागू नहीं होता ।
1. निदेशक, (प्रशासन)	—अध्यक्ष	
2. कार्यपालक इंजीनियर	—सदस्य	
3. प्रशासनिक अधिकारी	—सदस्य	

[फा. सं. 23/21/2009-के.भू.ज.बो.]

विनीत एब्रहाम, अवर सचिव

New Delhi, the 17th June, 2010

G.S.R. 109.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Ground Water Board (Hammerman) Recruitment Rules, 1976, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Hammerman in the Ministry of Water Resources, the Central Ground Water Board, namely :

1. Short title and commencement.—(l) These rules may be called the Central Ground Water Board, Hammerman, Group 'D' Post, Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

1. Disqualifications.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Pay Band, and grade pay or pay scale.	Whether Selection post or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Hammerman	4* (2010) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'D' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1 Rs. 5200-20200/- + Grade Pay Rs. 1800/-	Not applicable	No	Between 18 to 25 years. (Relaxable for Government Servants upto in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those. in Assam, Meghalaya, Arunanchal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep. **Note 2 :** In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Essential : (i) Matriculate from a recognised Board or equivalent; (ii) Certificate in Black Smithy from an Industrial Training Institute.	Not applicable	Two Years

Method of recruitment whether by direct or by promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made
(11)	(12)
Direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'D' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. Director (Administration) —Chairman 2. Executive Engineer —Member 3. Administrative Officer —Member	Not applicable

[F. No. 23/21/2009-CGWB]

VINEETH ABRAHAM, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.